न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:- श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:- 26/2023 (GCMS No. 2023/27) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. भगवानसिंह पुत्र नहनी जाति जोगी निवासी ढिढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली(राज.)

..........अपीलान्ट

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली (राज.)

.........रैस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली दिनांक 25.01.2023 मुकदमा नं. 22/2022 उनवानी भगवानसिंह बनाम तहसीलदार सूरौठ एवं न्यायालय तहसीलदार सूरौठ दिनांक 17.10.2022 प्र.सं. 191/2022 उनवान सरकार बनाम भगवानसिंह ।

उपस्थिति:-

1. अपीलांट की ओर से वकील श्री प्रमोद कुमार उपमन
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक

नि र्ण य   दिनांक : 27.10.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 25.01.2023 एवं तहसीलदार सूरौठ के आदेश दिनांक 17.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट के विरूद्ध आराजी खसरा नम्बर 2744 रकवा 0.15 हैक्टे. में 1243 वर्गफीट भूमि किस्म चरनौट स्थित वांके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ पर पाटोरपोश, टीनशैड एवं दासेबंदी का निर्माण कर पक्का अतिक्रमण करने की रिपोर्ट

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

पटवारी हल्का द्वारा की जाने पर तहसीलदार सूरौठ ने अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित कर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखल करने के आदेश दिये तथा आर्थिक दण्ड लगान का 50 गुना के बराबर 11 रूपये वसूली एवं रकवा पर निर्मित कच्चे/पक्के निर्माण को ध्वस्त कर भूमि को कब्जा राज लेने का आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली को अपील पेश की। अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली द्वारा अपीलांट की अपील दिनांक 25.01.2023 को खारिज कर दी गई। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरवी हेतु राजकीय पैरोकार हाजिर अदालत आये।

3. उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।

4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 2744 रकवा 0.15 हैक्टे. में 1243 वर्गफीट भूमि किस्म चरनौट स्थित वांके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ पर पाटेरपोश, टीनशैट एवं दासेबंदी निर्माण कर पक्का अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा की जाने पर तहसीलदार सूरौठ ने अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित कर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखल करने के आदेश दिये तथा आर्थिक दण्ड लगान का 50 गुना के बराबर 11 रूपये वसूली एवं रकबा पर निर्मित कच्चे/पक्के निर्माण को ध्वस्त कर भूमि को कब्जा राज लेने का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली को अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली द्वारा भी अपीलांट की अपील दिनांक 25.01.2023 को खारिज कर दी गई और तहसीलदार सूरौठ के आदेश की अक्षरशः पालना के आदेश दिये गये। अपीलांट द्वारा कथन भी किया कि खसरा नम्बर 2744 रकवा 0.15 विस्वा पर कोई अतिक्रमण अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है बल्कि स्वयं की खातेदारी में कब्जा किया गया है। अपीलांट की आराजी व ख.नं. 2744/0.15 की पैमाईश स्वतंत्र गवाहों के समक्ष करानी चाहिए थी परन्तु अदालत द्वारा हल्का पटवारी द्वारा एकपक्षीय रूप से कराई गई। अदालत तहत ने हल्का पटवारी से जिरह हेतु अवसर नहीं दिया। अपीलांट की विधिवत सुनवाई किये बिना व बिना साक्ष्य लिये निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का पक्का कब्जा है जिसे लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं इतने पुराने कब्जे को हटाने का

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

कोई विधिक कानून नहीं है। विवादित खसरा नम्बर में से होकर रास्ता/सडक भी निकली है जो कि रकवा में से कम होना है परन्तु सडक के रकवा को भी पैमाईश में शामिल किया गया है। अपीलाधीन निर्णय के आधार पर दिनांक 13.02.2023 को रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट को धमकी दी है कि अपीलांट के पक्के निर्माण को ध्वस्त करेगा और बेदखल करेगा तथा सामान की नीलामी करेगा। अगर रेस्पोडेन्ट अपनी इस धमकी में सफल हो गया तो अपीलांट को एक असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति नगद से अपीलांट को करा पाना संभव नहीं होगा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2023 अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली एवं आदेश दिनांक 17.10.2022 तहसीलदार सूरौठ निरस्त फरमाये जावें एवं अपीलांट के विरूद्व की गई कार्यवाही, धारा 91 एल.आर.एक्ट को समाप्त की जावे।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में लगभग 30 वर्ष पुराना अपना कब्जा स्वीकार किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय में भी कब्जा साबित हुआ है। इसके अलावा कोई भी अतिक्रमी पुराने कब्जे के आधार पर किसी प्रकार की राहत पाने का हकदार नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों के ओदशों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं लगती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय बहाल रखे जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय तहसीलदार सूरौठ द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 2744 रकवा 0.15 हैक्टे. चारागाह भूमि वांके ग्राम ढिंढोरा पर संवत् 2079 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर पाटोरपोश, टीनशैट एवं दासेबंदी कर कब्जा कर लिये जाने पर विवादित आराजी से बेदखली, शास्ती की सजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जारी नोटिस की विधिवत तामील हुई है। अतिक्रमण राजस्व रिकार्ड के मुताबिक चारागाह भूमि पर अपीलान्ट द्वारा किया गया है। चूँकि विवादित भूमि चारागाह है और आर. टी.एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमि पर किसी भी अतिक्रमी को कोई खातेदारी या अन्य अधिकार प्रदत्त नहीं हो सकते हें। कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी अपीलांट कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दिये गये तर्क सारहीन एवं निराधार है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालयों

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में न्यायालय के मत में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। हमारी राय में अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

6. फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरौठ का आदेश दिनांक 17.10.2022 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली का आदेश दिनांक 25.01.2023 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. आज दिनांक 27.10.2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर